भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौलिक पुस्तक लेखन योजना-2008
हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वर्ष 2008 में हिन्दी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान तथा इससे संबंधित विषयों अर्थात (1) समुद्र के सजीव तथा निर्जीव संसाधन (2) गहरे समुद्र संस्तर से बहुधात्विक पिण्डिकाएं (3) अंटार्कटिक अनुसंधान (4) समुद्री पर्यावरण- प्रदूषण नियंत्रण (5) तरंग ऊर्जा का इस्तेमाल और समुद्र तापीय ऊर्जा रुपांतरण (6) उपग्रह मौसम-विज्ञान (7) जल विज्ञान (8) प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विज्ञान (9) कृषि मौसम विज्ञान (10) सुनामी विज्ञान और तूफान महोर्मि (11) जलवायु-विज्ञान (12) ध्रुवीय विज्ञान आदि पर मूल रुप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकें (प्रकाशित) आमंत्रित करता है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पदाधिकारियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं।

इस योजना में तीन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैंः

प्रथम पुरस्कार	: 50,000/- रुपए
द्वितीय पुरस्कार	: 40,000/- रुपए
तृतीय पुरस्कार	: 30,000/- रुपए

इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान लिखी गई प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा । प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु पिछले वर्षों के दौरान भेजी गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ पुस्तकों की सात प्रतियां भेजना आवश्यक है। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन पत्र तथा योजना के निबंधन और शर्तों से संबंधित विस्तृत सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रुप से सहायक निदेशक(राजभाषा), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक- 12, लोदी रोड, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, नई दिल्ली- 110003 (दूरभाष- 24306862) से प्राप्त की जा सकती है। यह सूचना मंत्रालय की वेबसाइट **http: // www.moes.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

30 जून, 2008 के बाद प्राप्त होने वाली पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(भारत के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ)

सं. पृविमं/1/32/2007-रा.भा.

भारत सरकार

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांकः 2 अप्रैल, 2008

संकल्प

राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसरण में महासागर विकास विभाग ने 'समुद्र विज्ञान' से संबंधित विषयों पर मूल रुप से हिंदी में पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1989 से ''महासागर विकास विभाग पुरस्कार योजना'' शुरु की। जुलाई 2006 मेें पूर्व महासागर विकास मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भूकंप जोखिम मूल्यांकन केंद्र (ईआरईसी), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) को एक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कर नये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना की गई। इस मंत्रालय की स्थापना के कारण प्रचलित स्कीम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। तद्नुसार इसके विषयों की सूची में परिवर्तन करने तथा विषय-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए योजना में आंशिक संशोधन किया गया है । संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

1. योजना का नाम : इस योजना का नाम "पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौलिक पुस्तक लेखन योजना" होगा ।

2 योजना का उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान तथा इससे संबद्ध विषयों पर मूल रुप से हिन्दी में पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करना है, अर्थात्
(1) समुद्र के सजीव तथा निर्जीव संसाधन ;
(2) गहरे समुद्र संस्तर से बहुधात्विक पिण्डिकाएं;
(3) आर्कटिक/अंटार्कटिक अनुसंधान ;
(4) समुद्री पर्यावरण- प्रदूषण नियंत्रण;
(5) तरंग ऊर्जा का इस्तेमाल तथा समुद्री ताप ऊर्जा रुपांतरण;
(6) उपग्रह मौसम-विज्ञान;
(7) जल विज्ञान;
(8) प्राकृतिक आपदाओं संबंधी विज्ञान;
(9) कृषि मौसम विज्ञान;
(10) सुनामी विज्ञान और तूफान महोर्मि;
(11) जलवायु-विज्ञान ;
(12) ध्रुवीय विज्ञान आदि

3. पुरस्कार का मूल्य : इस योजना के अंतर्गत मूल रुप से हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे;
प्रथम पुरस्कार...............रु. 50,000
द्वितीय पुरस्कार.............रु. 40,000
तृतीय पुरस्कार ....रु. 30,000

4. मुख्य विशेषताएं : 4.1 इस योजना का संचालन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाएगा;

: 4.2 यह योजना अपने नए रुप में वर्ष 2008 से आरंभ होगी और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे । पुरस्कार केवल स्तरीय पुस्तकों को ही दिए जायेंगे । पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान करने के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करके लेखकों से

आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ;

: 4.3 लेखक अपने आवेदन निर्धारित फार्म में भरकर संयुक्त सचिव(प्रशा.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक-12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को प्रस्तुत करेंगे। आवेदक अपने आवेदन-पत्र के साथ अपनी प्रकाशित पुस्तकों की 7 प्रतियां भेजेगें । प्रत्येक प्रकाशित पुस्तक में कम-से-कम 100 पृष्ठ होने चाहिएं । पुस्तक में उन्हीं तथ्यों को उजागर किया जाए जो प्रामाणिक हों ;

: 4.4 लेखक पुस्तक में अपना बायोडेटा देंगे ; और

: 4.5 पुरस्कार विजेताओं को यात्रा व्यय दिया जाएगा यदि वे सरकारी सेवा में नहीं हैं ।

5. योजना में भाग लेने के लिए पात्रता

: 5.1 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/ स्वायत्तशासी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों/पदाधिकारियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं ;

: 5.2 इस योजना में केवल प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा। साथ ही पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (ISBN) के तहत पंजीकृत होनी चाहिए ;

: 5.3 पाठ्य पुस्तकों, अर्थात सभी पुस्तकें, जो विशिष्ट रुप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार की गई हैं, तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा ;

: 5.4 जिन लेखकों की पुस्तकों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) बना रहेगा;

: 5.5 जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका है उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । इस संबंध में लेखक को प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र देना होगा ;

: 5.6 केवल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को ही पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियम तैयार करने का अधिकार होगा ;

: 5.7 जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा वे पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित होनी चाहिए ;

: 5.8 जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा ;

: 5.9 लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है ।

: 5.10 कोई भी लेखक किसी वर्ष विशेष में इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अगले तीन वर्ष तक इस योजना में भाग नहीं ले सकेगा; और

: 5.11 लेखक अपनी पुस्तक के अंत में उन संदर्भ-स्रोतों की सूची भी देगा, जिनकी सहायता से लेखक ने पुस्तक तैयार की है ।

6. साधारण शर्तें

: 6.1 यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा;

: 6.2 यदि किसी वर्ष में मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक से उस वर्ष के लिए इस पुरस्कार को रोक सकती है ;

: 6.3 पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र- व्यवहार नहीं किया जाएगा ; और

: 6.4 यह पुरस्कार हर कैलेण्डर वर्ष में एक बार दिया जाएगा और यदि किसी कैलेण्डर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ;

7. मूल्यांकन समिति

: 7.1 पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पुस्तकों का चयन करने के लिए पुस्तक का मूल्यांकन इस उद्देश्य के लिये गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा । संयुक्त सचिव (प्रशा.) समिति के संचालक होंगे ;

: 7.2 इस मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्य होंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित किया जा सकेगा ;

: 7.3 मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाएगी। मूल्यांकन समिति का अध्यक्ष विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल कर सकता है। इस प्रकार शामिल किए गए विशेषज्ञों की हैसियत केवल सलाहकार की होगी ;

: 7.4 यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं होगा। मूल्यांकन समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकर होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नही की जा सकेगी ;

: 7.5 इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा । मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा; और

: 7.6 मूल्यांकन समिति के गैर सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा ।

8.	अन्य बातें	: मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है :
		: 8.1 पुस्तक प्रतियोगी/लेखक ने स्वयं मूल रुप से हिन्दी में लिखी हो । लेखक को इस संबंध में मौलिकता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ;
		: 8.2 पुस्तक किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो;
		: 8.3 पुस्तक प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो ;
		: 8.4 पुस्तक को प्रतियोगी ने मूल रुप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रुप में न लिखा हो ;
		: 8.5 पुस्तक प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी में अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रुप में लिखा हो;
		: 8.6 पुस्तक लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/संक्षिप्त रुप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी काम-काज के एक भाग के रुप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा अथवा प्रकाशित कराया हो; तथा
		: 8.7 पुस्तक किसी सरकारी संविदा के अंतर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत लिखी गयी पुस्तक न हो ।
9.	योजना में संशोधन का अधिकार	: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

कृपया योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय अनुलग्नक में दी गई महत्वपूर्ण शर्तों का पालन अवश्य करें ।

सं. पृविमं/1/32/2007-रा.भा
भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

महासागर भवन, ब्लॉक- 12,
केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड,
नई दिल्ली- 110003
दिनांक :

आवेदन पत्र

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विषयों से संबंधित हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मौलिक पुस्तक लेखन योजना'के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए लेखकों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

1. लेखक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :...

2. जन्म तिथि तथा आयु :...

3 स्थायी पता :...

4. पत्र व्यवहार का पता :...

5. वर्तमान व्यवसाय :...

6. शैक्षिक अर्हताएं :...

7. अनुभव :...

8. मातृभाषा :...

9. प्रस्तावित पुस्तक का शीर्षक :...

10. आईएसबीएन (ISBN) नं. :..

11 पुस्तक का विषय :..

12. पुस्तक किस वर्ग के पाठकों के लिए है(अर्थात प्राथमिक विद्यालय/हाईस्कूल/ इंटरमिडिएट/स्नातक स्तर/व्यवसायिक जनसाधारण) :...

13. क्या अध्यायवार सारांश संलग्न है ? :............
....

14. क्या आवेदक को इस पुस्तक के लिए :...

किसी अन्य सरकारी विभाग अथवा अभिकरण से कोई वित्तीय सहायता मिली है/मिल रही है? यदि हां, तो :...

(क) विभाग/अभिकरण का नाम :...

(ख) कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई/ प्राप्त होने की संभावना है? :...

(ग) किस वर्ष प्राप्त हुई?

15. क्या इस पुस्तक को भारत सरकार अथवा किसी अभिकरण की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है? यदि हां तो

(क) विभाग/अभिकरण का नाम :...

(ख) पुरस्कार की राशि

(ग) किस वर्ष के लिए पुरस्कृत किया गया :..

:...

16 आवेदक के इसके पूर्व के प्रकाशनों का ब्यौरा, यदि कोई हो तो :...

17. कोई अन्य सूचना जो लेखक देना उचित समझते हैं :...

18. **घोषणा**

(क) मैने इस योजना की शर्तें तथा विनियम पढ़ लिए हैं और ये मुझे पूर्णतः मान्य है।

(ख) मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कापीराइट अधिनियम तथा/अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य अधिनियम/कानून, जो भी लागू हो, का उल्लंघन नहीं करुंगा/करुंगी और इस पुस्तक के संबंध में यदि किसी समय मेरे खिलाफ अधिनियम/कानून के उल्लंघन का कोई मामला आता है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी ।

(ग) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि इस फार्म में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान :......................... हस्ताक्षर :

तारीख :......................... नाम :

फोन : (कार्यालय):
(आवास) :
मोबाइल :
ई-मेल :

<u>अनुलग्नक</u>

योजना संबंधी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जिनका अनुपालन न किए जाने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है :

1. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत पदाधिकारियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं ।
2. पुस्तक समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और इससे संबद्ध किसी भी विषय पर लिखी गई हो।
3. पुस्तक स्तरीय एवं पुरस्कार वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित हो ।
4. पुस्तक कम से कम सौ पृष्ठ की हो और अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (ISBN) के तहत पंजीकृत हो ।
5. पुस्तक मूल रुप से हिंदी में लिखी गई हो तथा अन्यत्र कहीं से भी पुरस्कृत न हो ।
6. लेखक ने मंत्रालय की इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष में कोई पुरस्कार प्राप्त न किया हो ।
7. लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है ।
8. पाठ्य पुस्तकों को इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता है ।